MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now. I gave you an opportunity. ...*(Interruptions)*... How many times will I see it? I have read it. ...*(Interruptions)*... You had sent a communication. I have gone through it. I have heard everyone carefully. I will give a ruling on it. Now, Shri Pramod Tiwari. ...*(Interruptions)*... Do you change it? I will correct if there is an error. I will look into it. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, कृपया मेरा टाइम अब शुरू किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Your time starts now, Mr. Pramod Tiwari.

Steady politicisation of religion in the country

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Thank you, Sir, for wishing me.

सर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूँ कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम अपने देश में धर्म के राजनीतिकरण की उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। यह हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक खतरा पैदा करता है। एक देश के रूप में हमने हमेशा दुनिया को 'वसुधैव कुटुंबकम्' का नारा दिया है। हमारे धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति, दोनों सिखाई है। यह हमारा संवैधानिक, धार्मिक और व्यक्तिगत दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता और समानता का संदेश दिया है, उसे कायम रखा जाए और उसका पालन किया जाए। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने हरसंभव प्रयास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और एकता की अपनी सदियों पुरानी संपत्ति को दांव पर न लगाएँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक देश के रूप में मिलकर काम करें और एक बार दुनिया को 'वसुधैव कुटुंबकम्' का वास्तविक अर्थ समझाएं। जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो इसका आशय यह भी है कि राष्ट्र प्रथम होता है, दल द्वितीय होते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि अपने दल के हित को साधने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री प्रमोद तिवारी: बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह अपनी पार्टी के हित में करेंगे, तो नि:संदेह वह देश के लिए घातक होगा।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री उपसभापति: धन्यवाद। प्रमोद जी, आपका समय खत्म हो गया है।

श्री प्रमोद तिवारी : महोदय, मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए यह चाहता हूँ कि आप निर्देशित करें कि संविधान के विरुद्ध न जाते हुए लोग धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता पर कायम रहें और धर्म का दुरुपयोग न करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour submission made by Shri Pramod Tiwari: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Jaya Bachchan (Uttar Pradesh) and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

Need for amendment in MPLADS guidelines

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): उपसभापति महोदय, 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' को 1993 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि जैसी सामुदायिक संपत्ति के निर्माण हेतु विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के दिशा निर्देशों के अध्याय 5.2.11 के अंतर्गत धार्मिक प्रकृति के कार्य या धार्मिक पूजा के स्थानों व परिसरों के भीतर और धार्मिक आस्था समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर होने वाले कार्यों के लिए इस निधि के प्रयोग की अनुमति नहीं है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मठ और मंदिर में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनमें हवन, भजन, कीर्तन और विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं। 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए निधि देने का प्रावधान है, लेकिन पर्याप्त भूमि के अभाव के कारण कई अवसरों पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता है। धार्मिक पूजा स्थलों पर पर्याप्त भूमि होती है, लेकिन 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के अंतर्गत प्रतिबंध के कारण सांसद अपने क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का विकास और उनके परिसर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देश के संख्या 5.2.11 को निरस्त किया जाए और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर और मठों में सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक केंद्र और अन्य विकास कार्यों के लिए 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के माध्यम से निधि देने पर लगे हुए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Iranna Kadadi: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil